आर0ई0आर0 केश नं0– 09 / 17–18

सुना हांसदा बनाम् मुनीलाल भगत वगै0

–: आदेश :–

वर्त्तमान वाद अंचल अधिकारी, महागामा के पत्रांक–266 / रा0, दिनांक–06.04.2017 में संलग्न हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर मौजा–खदहरामाल नं0–720, जमाबंदी नं0–30, दाग नं0–589, रकवा– 00–05–00 धूर जमीन से विपक्षी को उच्छेद करने हेतु दायर किया गया है।

अंचल अधिकारी, महागामा ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा–खदहरामाल नं0–720, जमाबंदी नं0–30, दाग नं0–589 के जमाबंदी रैयत ठाकुर हांसदा वल्द सुना हांसदा हैं। उक्त दाग नं0–589, कुल रकवा– 00–17–06 धूर जमीन का स्थल जांचोपरांत पाया गया कि मुनीलाल भगत, पे0–स्व0 हजारी भगत एवं नवीन कुमार जायसवाल वगै0 के मकान के बीच से आम रास्ता को लेकर विवाद है। ये मूलतः ग्राम–बुधुचक, थाना–गोपालपुर, जिला–भागलपुर, बिहार के मूल निवासी हैं तथा सहोदर भाई हैं। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि वर्णित दाग नं0 आदिवासी की है तथा जमीन जमाबंदी है। प्रश्नगत मामला अवैध हस्तांतरण का है। उभय पक्ष को उक्त भूमि से उच्छेद करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षीगण के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि दायर आर0ई0आर0 वाद चलने योग्य नहीं है। विपक्षी खाता नं0–30, मौजा–खदहरामाल नं0–720, जमाबंदी नं0–30, दाग नं0–589, रकवा– 00–02–10 धूर जमीन पर विपक्षी एवं उनके भाई ईंट का मकान बनाकर सपरिवार बसोवास कर रहे हैं। विपक्षी को इसके अलावे रहने के लिए कोई और जगह एवं मकान नहीं है। आवेदक बाबुराम हांसदा जमाबंदी रैयत के वारिशान हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि विपक्षी एवं विपक्षी का भाई मकान में बसोवास कर रहे हैं। आवेदक का कहना है कि विवादित भूमि आवेदक के गोतिया का है तथा मुनीलाल भगत द्वारा दखल कर लिया गया है, परन्तु ऐसी बात नहीं है। विवादित जमीन आवेदक के हिस्से में न होकर उनके हिस्सेदार बाबुराम हांसदा, पे0–स्व0 चुनकू हांसदा, सा0–खदहरामाल का है। दिनांक–06.03.1973 को पंचनामा के माध्यम से विपक्षी को दे दिया गया है, जिसपर विपक्षीगण मकान बनाकर रह रहे हैं। आवेदक द्वारा लाया गया वाद न्यायोचित एवं चलने योग्य नहीं है। अंत में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा आवेदक के आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मौजा–खदहरामाल नं0–720, जमाबंदी नं0–30, दाग नं0–589, रकवा– 00–05–00 धूर जमीन जमाबंदी जमीन है, जिसे पंचनामा के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।

अतः अंचल अधिकारी, महागामा के अनुशंसा के आलोक में वादगत भूमि से संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत् विपक्षीगण को उच्छेद किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

29.01.19

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

29.01.19

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।